

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

सोमवार, दिनांक 15 फरवरी, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

बस्तर जिले में एल. पी. जी. गैस के कालाबाजारी की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

1. (*क्र. 252) श्री संतोष बाफना : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 2008 से दिनांक 31-12-09 तक बस्तर जिले में उपभोक्ता एल. पी. जी. गैस की कालाबाजारी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : 01 जनवरी, 2008 से 31-12-2009 तक बस्तर जिले में एल. पी. जी. की कालाबाजारी से संबंधित 2 शिकायतें प्राप्त हुई थीं. शिकायतों की जांच कराई गई, जिसमें द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने पर प्रकरण तैयार कर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

धान की खरीदी एवं कस्टम मिलिंग

2. (*क्र. 283) श्रीमती पद्मा धनश्याम मनहर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-2010 में दिनांक 31-12-2009 तक समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान खरीदी को गई ? खरीदे गए धान में कितना धान कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय किया गया ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) कस्टम मिलिंग में अरबा एवं उसना चावल हेतु शासन ने क्या नीति निर्धारित की है तथा कितना प्रतिशत अरबा तथा कितना प्रतिशत उसना मिलिंग कराए जाने का निर्देश दिया गया है ? (ग) जिलेवार कस्टम मिलिंग के अन्तर्गत कितना-कितना धान अरबा तथा कितना-कितना धान उसना मिलिंग कराया गया है ? (दिनांक 31-12-2009 तक)

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2009-10 में प्रश्नांकित अवधि तक समर्थन मूल्य पर 21,71,230 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई. खरीदे गए धान में से 6,41,497 मेट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय किया गया है. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) सेन्ट्रल पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा कस्टम मिलिंग चावल की मात्रा में उसना चावल 40 प्रतिशत प्राप्त किये जाने का अनुपात तय किये जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किये जाने वाले कस्टम मिलिंग चावल हेतु उपरोक्तानुसार धान को अरबा एवं उसना मिलिंग की नीति तय की गई है. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्राप्त किये जा रहे कस्टम मिलिंग चावल हेतु विभिन्न जिलों में अरबा एवं उसना चावल की खपत एवं आवश्यकता के आधार पर धान को अरबा एवं उसना मिलिंग कराई जा रही है. (ग) प्रश्नांकित अवधि में धान की जिलेवार अरबा एवं उसना मिलिंग की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

कार्बन क्रेडिट के तहत अनुदान से लाभान्वित उद्योग

3. (*क्र. 398) श्री सौरभ सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कितने और कौन-कौन से उद्योग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कार्बन क्रेडिट अनुदान योजना के तहत वर्ष 2008 और 2009 में लाभान्वित हुए हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणा) : प्रश्नाधीन अवधि में राज्य के किसी उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कार्बन क्रेडिट अनुदान योजना के तहत लाभान्वित होने की जानकारी नहीं है. वस्तुतः यह कार्य भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से संबंधित है.

औद्योगिक क्षेत्र के स्पष्ट संयंत्रों में ई. एस. पी. संचालन को जांच

4. (*क्र. 615) श्री देवजी भाई पटेल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, रायगढ़ क्षेत्र में स्थापित स्पंज आयरन के फैक्ट्रियों में संचालित प्रदूषण नियंत्रण यंत्र (ई. एस. पी.) सुचारू रूप से संचालित है ? यदि नहीं, तो इनकी जांच कब-कब कितने द्वारा की गई ? क्या सभी फैक्ट्री में (ई. एस. पी.) लगा है उद्योगवार बतायें. (ख) क्या कंडिका "क" में संयंत्रों से निकले वेस्ट मटेरियल को प्रतिबंधित क्षेत्रों में फेंके जाने की जांच कराया गई है ? यदि हां, तो जांच का दिनांक सहित ब्यौर दें. (ग) कंडिका "क" के क्षेत्रों में प्रदूषण के मानकों की जांच कब-कब की गई ? हवा में प्रदूषण की कितनी मात्रा दर्ज की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जो हां, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में स्पंज आयरन उद्योग स्थापित नहीं है. प्रश्नाधीन अवधि में औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा तथा आस-पास एवं रायगढ़ क्षेत्र में स्थापित जिन स्पंज आयरन उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के सुचारू रूप से संचालित होना नहीं पाये गये, उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" अनुसार है. उक्त क्षेत्रों में स्थापित स्पंज आयरन उद्योगों के किलन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर (ई. एस. पी.)/वेग फिल्टर/स्क़्रबर की स्थापना की गई है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" अनुसार है. (ख) स्पंज आयरन उद्योगों से उत्पन्न ठोस अपशिष्टों तथा चार-डोलोचर की कुछ मात्रा ईंधन के रूप में चौबर प्लांट एवं ईट भट्टों में उपयोग किया जाता है. शेष चार-डोलोचर, तथा अन्य ठोस अपशिष्टों तथा ई. एस. पी. डस्ट, एंक्रेशन आदि को उद्योगों द्वारा स्वयं के परिसर में तथा समीप की अनुपयोगी खदानों अथवा भूमि पर संबंधित ग्राम पंचायत अथवा निजी भूमि स्वामी से सहमति के आधार पर भू-भरण हेतु उपयोग किया जाता है. अतः उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में फेंके जाने जैसी स्थिति नहीं है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "तीन" अनुसार है.

प्रदेश में निरस्त किये गये राशनकार्ड

5. (*क्र. 13) डॉ. जगजीत नायक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में प्रदेश में कितने-कितने फर्जी बीपीएल राशनकार्ड निरस्त करके प्रकरण दर्ज की गयी, जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी दें ? (ख) दोषी व्यक्ति, डीलर एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2007-08 में दुर्ग जिले में एक प्रकरण में 10 फर्जी राशनकार्ड निरस्त कर प्रकरण दर्ज किया गया. वर्ष 2008-09 में रायपुर जिले में 39 राशनकार्ड निरस्त कर प्रकरण दर्ज कराया गया है. (ख) दुर्ग जिले के प्रकरण में राशनकार्ड बनाने में अनियमितता करने वाले ग्राम पंचायत नगधा के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है. रायपुर जिले के प्रकरण में अवैध रूप से 39 राशनकार्ड रखने वाली आरोपी महिला के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है.

जिला जांजगीर-चांपा में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रदत्त राशन कार्ड

6. (*क्र. 471) महन्त रामसुन्दर दास : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितने परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का कार्ड प्रदान किया गया है ? विकासखण्डवार बतायें. (ख) जिला जांजगीर-चांपा के गरीब परिवारों को प्रदान किये गये कार्डों में से कितने कार्ड को कब से निरस्त किया गया है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें.

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 224231 परिवारों को राशनकार्ड प्रदान किया गया है. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जांजगीर-चांपा जिले के गरीब परिवारों को प्रदाय किए गए राशनकार्डों में से 4692 राशनकार्डों को वर्ष 2009-10 में निरस्त किया गया है. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

नई राजधानी हेतु अधिग्रहित भूमि तथा मुआवजा

7. (*क्र. 517) श्री रविन्द्र चौधे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नई राजधानी हेतु 15.1 कितनी निजी भूमि का अधिग्रहण 31-12-09 तक किया गया है ? उक्त भूमि का मुआवजा किस दर पर भुगतान किया गया है ? (ख) 15.1

प्रश्नांश "क" के उत्तर में उल्लेखित भूमि में से "नारडा" द्वारा अन्य संस्था/फर्म/विगम को भूमि सशुल्क हस्तांतरित की गई है ? यदि हां, तो किस कार्य हेतु कितनी भूमि, किस दर पर, किसे हस्तांतरित की गई है ? (ग) नारडा द्वारा किसानों से भूमि अधिग्रहित करने के बाद, ऐसी भूमि जो अन्य संस्था को सशुल्क हस्तांतरित की गई है, उसमें "नारडा" द्वारा क्या-क्या कार्य कराए गए तथा कितना व्यय किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नई राजधानी हेतु दिनांक 31-12-2009 तक 3573.777 हे. निजी भूमि का अधिग्रहण एन. आर. डी. ए. द्वारा किया गया है, जिसमें से आपसी सहमति के आधार पर क्रय भूमि 3555.307 तथा अनिवार्य भू-अर्जन के अंतर्गत प्राप्त भूमि 18.47 हे. है. आपसी सहमति से क्रय की गई भूमि का मुआवजा सिंचित भूमि के लिए 14 लाख 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर व असिंचित भूमि के लिए 13 लाख 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया गया तथा 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक क्रय कि गये भूमि पर अतिरिक्त पैकेज के रूप में 5 प्रतिशत, 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक क्रय किये गये भूमि पर 10 प्रतिशत एवं 1 अप्रैल 2009 से 31 दिसम्बर 2009 तक क्रय किये गये भूमि पर 20 प्रतिशत राशि अतिरिक्त पैकेज के रूप में भुगतान किया गया. अनिवार्य भू-अर्जन के तहत अर्जित भूमि का मुआवजा भू-अर्जन अधिकारी द्वारा शासकीय गाईडलाइन अनुसार दिया गया है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है. (ग) एनआरडीए द्वारा किसानों से भूमि अधिग्रहित करने के बाद, ऐसी भूमि जो अन्य संस्था को सशुल्क हस्तांतरित की गई है, उसमें नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (एनआरडीए), रायपुर द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है. परन्तु नया रायपुर में ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में अनुमानित आंकलन रुपया 1620 करोड़ के विरुद्ध सड़क, जल प्रदाय व्यवस्था तथा वृक्षारोपण पर अभी तक रुपये 165.14 करोड़ का व्यय किया गया है.

पामगढ़ तथा अकलतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत अन्नपूर्णा योजना के हितग्राही

8. (क्र. 564) श्री दूजराम बीढ़ : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत विकासखण्डवार कितने हितग्राही हैं ? (ख) पामगढ़ और अकलतरा विधान सभा क्षेत्र की नाम सहित जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत विकासखण्डवार निम्नानुसार हितग्राही हैं :-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	हितग्राहियों की संख्या
1.	नवागढ़	117
2.	अकलतरा	129
3.	बलीदा	72
4.	पामगढ़	157
5.	बम्हनीडीह	89
6.	सक्ती	268
7.	जैजैपुर	131
8.	मालखरीदा	134
9.	डभरा	163
योग		1260

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार है.

बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. राशन कार्ड के संबंध में

9. (क्र. 61) डॉ. हरिदास भारद्वाज : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 01 दिसम्बर 2009 की स्थिति में कुल कितने गरीब परिवारों को बी. पी. एल. राशन कार्ड दिया गया है ? जिलेवार बतायें ? (ख) 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 की अवधि में कितने बी. पी. एल. कार्ड निरस्त किये एवं कितने स्वेच्छा से जमा किये गये ? जिलेवार बतायें ? (ग) उत्तरांचल में केन्द्र शासन द्वारा कितना-कितना चावल बी. पी. एल., ए. पी. एल. तथा अंत्योदय योजना हेतु प्राप्त हुआ ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ख) 01 जनवरी 2009 से 23 दिसम्बर, 2009 की अवधि में 96,014 बी. पी. एल. कार्ड निरस्त किये गये तथा 15,229 कार्डधारियों द्वारा स्वेच्छा से जमा किया गया. जिलेवार जानकारी प्रपत्र "क" पर † संलग्न है. (ग) जनवरी 2009 से दिसम्बर, 2009 तक केन्द्र सरकार से 4,54,368 मेट्रिक टन बी.पी.एल., 69,222 मेट्रिक टन ए.पी. ए. तथा 3,01,944 मेट्रिक टन अन्वोदय योजना हेतु चावल प्राप्त हुआ.

दुर्ग जिले में बी. पी. एल./अन्वोदय योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राही

10. (*क्र. 494) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के अंतर्गत विकास खण्ड बेमेतरा, बेरला के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अन्वोदय योजना के तहत कितने हितग्राही पंजीकृत हैं ? (ख) बी.पी.एल./अन्वोदय योजना में पंजीयन हेतु पात्रता के क्या मापदण्ड हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) दुर्ग जिले के अंतर्गत विकासखण्ड बेमेतरा एवं बेरला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री वितरण हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले एवं अन्वोदय योजना के हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार है :—

विकासखण्ड का नाम	बी.पी.एल. परिवार	अन्वोदय परिवार
बेमेतरा	19973	5515
बेरला	18125	4393

(ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

रायपुर शहर के अनुपम नगर कालोनी में अवैध निर्माण की शिकायत

11. (*क्र. 603) **श्री परेश बागबाहरा :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायपुर शहर के अनुपम नगर में एल, आई एवं एन ब्लाक के मध्य में स्थित भूखण्ड खसरा क्रमांक 94/1, 94/2 एवं 94/3 में निर्माण हेतु अनुमति दी गई है ? यदि हां तो, किस-किस नाम से किस खसरा नम्बर को कितनी भूमि पर किस कार्य के लिए कब अनुमति दी गई है ? (ख) क्या उक्त भूमि में कोई निर्माण कार्य हुआ है ? यदि हां तो, क्या-क्या किसकी अनुमति से ? (ग) क्या उक्त भूखण्ड में अवैध कब्जा रोकने हेतु दिनांक 8-6-09 से 10-12-09 तक कोई शिकायत/आवेदन विभाग को, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के संयुक्त संचालक, आयुक्त नगर निगम, आयुक्त नगर निगम जोन क्रमांक 3 रायपुर को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. इंटीग्रेटेड एजुकेशन सोसायटी के नाम से खसरा क्रमांक 94/1, 94/2 एवं 94/3 का भाग रकबा 57800 वर्ग फीट शैक्षणिक प्रयोजन हेतु भवन अनुज्ञा क्रमांक 67 दिनांक 13-07-2001, भवन अनुज्ञा क्रमांक 63 दिनांक 22-06-2004 को प्रदान की गई. अनुज्ञा क्रमांक 439 दिनांक 12-03-2007 के द्वारा रकबा सीमित करते हुए पुनः इंटीग्रेटेड एजुकेशन सोसायटी को खसरा क्रमांक 94/2, 94/3 (भाग) में मात्र 37800 वर्ग फीट शैक्षणिक उपयोग हेतु भवन अनुज्ञा प्रदान की गई है. (ख) जी हां. नगर निगम रायपुर के द्वारा जारी भवन अनुज्ञा के विपरीत मात्र शेड का निर्माण किया गया है. (ग) जी हां. विभाग को प्राप्त शिकायत के आधार पर नगर निगम रायपुर के पत्र क्रमांक 833 दिनांक 27-11-2009 द्वारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन सोसायटी को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है. सोसायटी के द्वारा स्वयंकृति के विपरीत निर्मित अस्थायी अवैध शेड को हटाने हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर के द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 (i), (ii), 307 (2) (अ) व 307 (iii) के तहत दिनांक 17-07-2009, 04-08-2009 एवं 26-08-2009 को नोटिस जारी किया गया है.

कोरिया जिला में आवंटित खाद्यान्न

12. (*क्र. 312) **श्री दीपक कुमार पटेल :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया जिले के विकासखण्ड खड़गवा, मनेन्द्रगढ़ एवं नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत 1 अप्रैल से दिसम्बर, 2009 की अवधि में

कितनी-कितनी मात्रा में गेहूँ, चावल एवं शक्कर का आवंटन किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : कोरिया जिले के विकासखण्ड खड़गवां, मनेन्द्रगढ़ एवं नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत 1 अप्रैल से दिसम्बर, 2009 की अवधि में निम्नानुसार आवंटन किया गया है :—

(मात्रा क्विंटल में)

विकासखण्ड का नाम	चावल	गेहूँ	शक्कर
खड़गवां	51896.17	4988.03	2304.22
मनेन्द्रगढ़	49955.95	4582.40	2234.89
नगर पालिक निगम चिरमिरी	24116.92	4007.13	1147.99

प्रदेश की राईस मिलों द्वारा उत्पादित अरवा एवं उसना चावल

13. (*क्र. 535) **श्री नंदकुमार साहू :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राईस मिल प्रचलन में हैं ? जिलेवार संख्या दें। (ख) प्रचलित राईस मिलों द्वारा वर्ष 2007 से 2009 तक की अवधि में कितने अरवा एवं कितने उसना चावल का उत्पादन किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : (क) दिनांक 05 फरवरी, 2010 की स्थिति में खाद्य विभाग में पंजीकृत राईस मिलों की जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रस्तावित अवधि के दौरान राईस मिलों द्वारा उत्पादित 54.52 लाख टन अरवा एवं 44.80 लाख टन उसना चावल की प्राप्ति कस्टम मिलड चावल एवं लेव्ही के रूप में शासन द्वारा की गई है।

रायगढ़ एवं जशपुर जिले में खाद्यान्न परिवहन संबंधी

14. (*क्र. 272) **श्री हृदयराम राठिया :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ एवं जशपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का परिवहन किस एजेंसी द्वारा सत्र 2008-09 में किया गया ? (ख) क्या परिवहन हेतु जिला स्तर पर टेंडर जारी किया गया था ? (ग) यदि हाँ, तो कितने टेंडर प्राप्त हुए ? किस दर पर परिवहन कराया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : (क) रायगढ़ एवं जशपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का परिवहन सत्र 2008-09 में नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया गया। (ख) नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर द्वारा समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराया गया तदनुसार जिला स्तर पर निविदा प्राप्त किया गया। (ग) रायगढ़ एवं जशपुर जिले में प्राप्त टेंडर एवं परिवहन हेतु स्वीकृत दर की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है।

नगर पंचायत छुरिया को विभिन्न मदों के तहत स्वीकृत राशि

15. (*क्र. 589) **श्री भोलाराम साहू :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले को नगर पंचायत छुरिया को वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में दिनांक 15-01-2010 तक शासन द्वारा नगर विकास हेतु किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि कच-कच प्रदान की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणह) : राजनांदगांव जिले के नगर पंचायत छुरिया को वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में दिनांक 15-01-2010 तक शासन द्वारा नगर विकास हेतु दी गई राशि ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है।

† परिशिष्ट "ख"।

†† परिशिष्ट "आ"।

‡ परिशिष्ट "अ"।

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर

16. (*क्र. 496) श्री मोहम्मद अकबर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम सीमा क्षेत्र रायपुर में किस-किस कंपनी के मोबाईल टावर कब-कब से, कहाँ-कहाँ अनुमति एवं बिना अनुमति के स्थापित किये गये हैं ? अनुमति प्राप्त स्थापित टावरों को किन-किन शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है ? (ख) बिना अनुमति स्थापित टावरों के विरुद्ध अलग-अलग, क्या-क्या कार्यवाही की गई है, अवैध टावरों को कब तक हटाया जायेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नगर निगम रायपुर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मोबाईल कंपनियों के द्वारा अनुमति प्राप्त कर 163 मोबाईल टावर स्थापित किया गया है सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' पर है. बिना अनुमति प्राप्त 140 मोबाईल टावर स्थापित है. सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' पर है. अनुमति प्राप्त मोबाईल टावरों का पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '3' अनुसार शर्तों के अधीन अनुमति दी गई. बिना अनुमति स्थापित टावरों को हटाने हेतु समय-समय पर नोटिस जारी की गई है. तथा विद्युत कनेक्शन काटने हेतु छ. ग. विद्युत वितरण कंपनी को पत्र क्रमांक 302 दिनांक 22-06-2008 को लिखा गया है. एक स्थल से जनरेटर सेट जबा किया गया एवं एक स्थल से टावर हटाया गया एवं दो स्थल से विद्युत कनेक्शन हटाने की कार्यवाही की गई है. बिना अनुमति स्थापित टावरों को निषेधित करने हेतु मोबाईल कंपनियों द्वारा सम्झौता शुल्क जमा कर अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन किया गया है. जिस पर कार्यवाही की जा रही है. सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' पर है.

वैशालीनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित उद्योगों में ई.एस.पी. की स्थापना

17. (*क्र. 382) श्री भजन सिंह निरंकारी : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने उद्योग स्थापित हैं ? (ख) कितने उद्योगों में प्रदूषण निवारण संयंत्र, (ई.एस.पी.) स्थापित है तथा कितने उद्योग में प्रदूषण निवारण संयंत्र नहीं लगा है ? (ग) बिना ई. एस. पी. के संचालित उद्योगों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 154 उद्योग स्थापित है. (ख) प्रदूषण निवारण संयंत्र में ऐसी प्रकृति के उद्योग स्थापित एवं संचालित है, जो विशेष वायु प्रदूषणकारी श्रेणी के नहीं है. अतः इनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. की स्थापना की आवश्यकता नहीं है. इन उद्योगों में आवश्यकतानुसार प्रदूषण निवारण उपकरण स्थापित है. (ग) प्रदूषण 'ख' के आधार पर प्रत्येक उद्योग में संचालित नहीं होता है.

खाद्य एवं मिट्टीतेल की कालाबाजारी के प्रकरणों पर कार्यवाही

18. (*क्र. 488) श्री नंदकुमार पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़, जरापुर एवं अम्बिकापुर में माह अप्रैल 2009 से 15 जनवरी, 2010 तक राशन एवं मिट्टी तेल की कालाबाजारी के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? जिलेवार, बानेवार दर्ज प्रकरणों की जानकारी दें. (ख) राशन एवं मिट्टी तेल की कालाबाजारी में संलग्न व्यक्तियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) माह अप्रैल, 2009 से 15 जनवरी 2010 तक राशन एवं मिट्टी तेल कालाबाजारी के रायगढ़ में 01, जरापुर में 08 एवं अम्बिकापुर जिले में 52 कुल 61 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिसमें से 11 प्रकरणों में बाने में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है. जिलेवार बानेवार दर्ज प्रकरणों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) कुल निर्मित 61 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों में बाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया. शेष 50 प्रकरणों में से 37 प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों से 8 लाख 14 हजार 362 रुपये शासन पक्ष में जमा कराया गया है. तथा 13 प्रकरण न्यायालय कलेक्टर अम्बिकापुर में विचारधीन है.

मांस दुकानों के संचालन के नियम

19. (*क्र. 616) श्री देवजी भाई पटेल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत मांस दुकानों को संचालित करने के क्या नियम हैं ? नियमों के तहत रायपुर नगर क्षेत्र में कहाँ-कहाँ दुकानें संचालित करने की अनुमति भी दी गई है ? (ख) अवैध रूप से मांस दुकान संचालन करने वालों के विरुद्ध दण्ड के क्या प्रावधान हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणह) : (क) नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत मांस दुकानों को संचालित करने के लिये छत्रोसगढ़, नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 255, 257, 259 एवं 366 के अंतर्गत तथा छ. ग. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 260, 262, 264, 265, 266 एवं 267 के अंतर्गत प्रावधान हैं। नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निर्धारित जवाहर बाजार मटन मार्केट का जोर्णोद्वार होने के कारण, जवाहर बाजार (पुराना सब्जी मार्केट) के पार्किंग में स्थल आवंटित करने के उपरोक्त मांस दुकान संचालित करने की अनुमति दी गई है। (ख) अनुमति पत्र के बिना बाजार के बाहर अवैध रूप से मांस दुकान संचालन करने वाले के विरुद्ध न. पा. निगम अधिनियम, 1956 की धारा 255 के अंतर्गत कार्यवाही कर 100 रुपये अर्थदण्ड आरोपित करने तथा ऐसा दैनिक अर्थदण्ड जो निरंतर प्रकार के अपराध की दशा में आरोपित किया जा सकेगा 10 रुपए है, एवं न. पा. अधिनियम, 1961 की धारा 260 (2) (3) के अंतर्गत 50 रुपए तक एवं दोष सिद्ध एवं उस स्थान को बंद करने के आदेश हो चुकने के पश्चात् के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उस स्थान का इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसे उपयोग करने की अनुज्ञा दे, 5 रुपए तक हो सकेगा, दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

राज्य में खाद्य पदार्थ की अवैध भण्डारण एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही

20. (*क्र. 14) **डॉ. शंकाजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 में 26 दिसंबर, 09 तक कहां-कहां, कितनी-कितनी मात्रा में दलहन एवं शक्कर के अवैध भण्डारण के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? जब्त एवं सील किये गये दलहनों एवं शक्कर को क्या राजसात किया गया है ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) उक्त अवधि में मिलावटी घी, खोवा, पनीर एवं अन्य खाद्य पदार्थों के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2009-10 में 26 दिसंबर, 09 तक राज्य में दलहन एवं शक्कर के अवैध भण्डारण के दर्ज प्रकरणों, जप्त एवं राजसात खाद्यान्न तथा प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में घी के 18, खोवा के 27, पनीर का 01 एवं अन्य खाद्य पदार्थों के 184 कुल 230 नमूने जांच हेतु लिये गये थे, जिसमें से घी के 03, खोवा के 23, पनीर का 01 तथा अन्य खाद्य पदार्थों के 75 कुल 102 नमूने जांच में अपरिमिश्रित पाये गये, जिसमें से 11 प्रकरण अभियोजन हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं, तथा 87 प्रकरणों में विवेचना जारी है। 04 प्रकरण रेल्वे से संबंधित हैं।

जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित उद्योगों में पर्यावरण संरक्षण के नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही

21. (*क्र. 472) **महंत रामसुन्दर दास** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितने उद्योग स्थापित हैं ? विकासखण्डवार बहाने ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित उद्योगों में पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन कराने हेतु वर्ष 2009 में किस-किस उद्योग में कब-कब अधिकारियों ने जांच की ? (ग) जांच में नियमों का उल्लंघन करते पाये गये उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणह) : (क) कुल 1632 उद्योग स्थापित हैं। विकासखण्डवार संख्या निम्नानुसार है :-

अकलतरा-198, डभरा-223, सक्की-367, बम्हनीडीह-163, नवागढ़-112, मालखरीदा-84, जैजेपुर-97, बालीदा-59, घामगढ़-2२.

(ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ग) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

प्रदेश में फर्जी धान खरीदी की प्राप्त शिकायतें

22. (*क्र. 518) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 में प्रदेश में समर्पण मूल्य पर धान खरीदी में फर्जी धान खरीदी के कितने प्रकरण प्रकाश में आए हैं ? जिलेवार जानकारी दें। (ख) धमतरी, रायपुर एवं महासमुंद जिलों में कितने-कितने मोसबयती से फर्जी धान खरीदी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ग) शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीद वर्ष 2009-10 में धान की फर्जी खरीदी के कुल 4 प्रकरण चले हैं, जिनमें 1 महासमुंद जिले में 2, धमतरी जिले में 1 तथा दुर्ग जिले में 1 प्रकरण है। (ख) एवं (ग) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

† परिशिष्ट "दस"

†† परिशिष्ट "ग्यारह"

‡ परिशिष्ट "बारह"

रायपुर जिले में पंजीकृत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही

23. (*क्र. 585) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15-01-2010 की स्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले एवं अन्त्योदय योजना के तहत रायपुर जिले के अंतर्गत कितने हितग्राही पंजीकृत हैं ? (ख) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अन्त्योदय योजना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सूची बनाने का क्या मापदण्ड है ? (ग) उक्त जिले में दिनांक 15-01-2010 तक कितने-कितने राशनकार्ड को अपात्र घोषित किया गया तथा कितने लोगों ने स्वेच्छा से राशनकार्ड जमा किये ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) रायपुर जिले में दिनांक 15-01-2010 की स्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 448236 हितग्राहियों को तथा अन्त्योदय योजना के तहत 79856 हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न दिये जाने हेतु राशनकार्ड जारी किया गया है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) दिनांक 15-01-2010 तक रायपुर जिले में 13020 बी. पी. एल. कार्ड निरस्त किए गये. जिसमें से 07 हितग्राहियों द्वारा स्वेच्छा से राशनकार्ड जमा कराने के कारण निरस्त किया गया.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन की कालाबाजारी

24. (*क्र. 495) **श्री ताप्रध्वज साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 18 सितम्बर, 2009 को बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिरवाबांधा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री की कालाबाजारी करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा ? (ख) यदि हां तो, कितनी मात्रा में चावल एवं शक्कर पाया गया ? (ग) ग्राम सिरवाबांधा में उचित मूल्य की दुकान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा था ? (घ) इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जी हां. (ख) प्रकरण में कालाबाजारी करते हुए 57 कट्टे में 22 किबंटल 68 किलो 300 ग्राम चावल तथा 10 कट्टे में 4 किबंटल 64 किलोग्राम शक्कर पकड़ा गया. (ग) ग्राम सिरवाबांधा स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन कमला महिला स्व-सहायता समूह ग्राम पंचायत कन्होरा द्वारा किया जा रहा था. (घ) उक्त प्रकरण में उचित मूल्य दुकान के विक्रेता श्री हजारो आत्मज संग्राम, समूह की अध्यक्ष श्रीमती माधुरी वर्मा के अतिरिक्त ग्राम सिरवाबांधा निवासी श्री दुर्गा पटेल, द्वारिका यादव, विनोद यादव तथा ग्राम पंचायत सिरवाबांधा की सरपंच श्रीमती रम्भा दुबे, पंचायत सचिव श्री गोपेन्द्रलाल एवं कालाबाजारी हेतु उपयोग किये जा रहे वाहन (टाटा 407) क्रमांक सी. जी. 04/जे. ए. 9323 के चालक श्री कौमल वर्मा दोषी पाये गये. उनके विरुद्ध थाना बेमेतरा में एफ. आई. आर. क्रमांक 313/09 दिनांक 24-09-2009 दर्ज कराई गई है.

नगर पंचायतों को निर्माण कार्यों हेतु आवंटित राशि

25. (*क्र. 604) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में प्रदेश की नगर पंचायतों को विभिन्न निर्माण कार्य हेतु कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया ? नगर पंचायतवार जानकारी दें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मृगत) : नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के 125 नगर पंचायतों को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2008-09 में राशि रु. 11548.73 लाख एवं वर्ष 2009-10 में दिनांक 15-01-2010 तक राशि रु. 8359.83 लाख आवंटित की गयी है. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 283) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय की जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	मात्रा में, टन में	
		वर्ष 2009-10 में दि. 31-12-2009 तक उपार्जित धान की मात्रा में	वर्ष 2009-10 में दि. 31-12-2009 तक कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय मात्रा में, टन में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	579636	129734
2.	महासमुन्द	287977	45743
3.	धमतरी	237146	67504
4.	दुर्ग	359273	90120
5.	राजनांदगांव	104602	44437
6.	कवर्धा	23626	2487
7.	बिलासपुर	1100999	57382
8.	कोरबा	11965	8876
9.	जांजगीर	127648	62679
10.	रायगढ़	165386	69831
11.	जशपुर नगर	8505	6330
12.	अम्बिकापुर	33103	13713
13.	कोरिया	6724	5243
14.	कांकेर	65118	13938
15.	जगदलपुर	44900	22881
16.	दंतेवाड़ा	4622	599
योग		21,71,230	6,41,497

प्रपत्र "ब"

कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय की जिलेवार जानकारी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	अरखा (3)	उसना (4)	मात्रा मे. टन में	
					योग (5)
1.	रायपुर	59281	70453		129734
2.	महासमुन्द	19363	26380		45743
3.	धमतरी	36682	30822		67504
4.	दुर्ग	19715	70405		90120
5.	राजनांदगाँव	33834	10603		44437
6.	कवर्धा	2487	0		2487
7.	बिलासपुर	41784	15598		57382
8.	कोरवा	8876	0		8876
9.	जांजगीर	44283	18396		62679
10.	रायगढ़	69831	0		69831
11.	जशपुर नगर	5852	478		6330
12.	अम्बिकापुर	13713	0		13713
13.	कोरिया	5243	0		5243
14.	कांकेर	9763	4175		13938
15.	जगदलपुर	22881	0		22881
16.	दंतेवाड़ा	599	0		599
योग		3,94,187	2,47,310		6,41,497

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 471) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जांजगीर-साँपा जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को प्रदाय राशनकार्डों की विकासखंडवार संख्या—

क्र.	विकासखंड का नाम	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को प्रदाय किये गये राशनकार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	अकलतरा	26024
2.	बम्हनीडीह	25346
3.	बलीदा	23797
4.	डभरा	27025
5.	जैजैपुर	21523
6.	मालखरीदा	26189
7.	नवागढ़	26557
8.	पामगढ़	18811
9.	सखी	28959
योग		224231

प्रपत्र "ब"

जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2009-10 में निरस्त राशनकार्डों की विकासखंडवार जानकारी—

क्र. (1)	विकासखंड का नाम (2)	निरस्त किए गए राशनकार्ड की संख्या (3)
1.	अकलतरा	1386
2.	बम्हनीडीह	652
3.	बलीदा	394
4.	डभरा	340
5.	जेजीपुर	264
6.	मालखरीदा	353
7.	नवागढ़	338
8.	पामगढ़	268
9.	सकी	697
योग		4692

परिशिष्ट "तीन"
[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 517) के भाग (ख) की जानकारी]

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नया रायपुर में अधिग्रहित भूमि जिसका आवंटन/अग्रिम आधिपत्य शासन/निगम/मंडल/संस्था को किया गया है, की जानकारी

क्र.	विभाग का नाम	कार्य	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	शुल्क दरें (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छ. ग. गृह निर्माण मंडल	आवासीय कालोनी	राखी, नवागांव, झांझ	54.77	57.728 लाख/हे.
2.	आई. टी. एम. यूनिवर्सिटी	शैक्षणिक	उपरवारा	10.12	29.86 लाख/हे.
3.	वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन.	कैंसर चिकित्सालय एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट.	खपरी, नवागांव	20.23	1. रु. प्रति वर्ग भू-भाटक पर
4.	सी. एस. आई. डी. सी.	विशेषीकृत औद्योगिक (जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क)	तुला	28.32	29.86 लाख/हे.

परिशिष्ट "चार"
[तारकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 61) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	1-12-09 की स्थिति में प्रचलित बीपीएल कार्ड (3)
1.	कवर्धा	124162
2.	कांकिर	105911
3.	कोरबा	161799
4.	कोरिया	90347
5.	जशपुर	105278
6.	जांजगीर	230865
7.	दंतेवाड़ा	92900
8.	दुर्ग	436739
9.	धमतरी	99059
10.	नारायणपुर	20782
11.	बस्तर	230491
12.	बिलासपुर	401411
13.	बीजापुर	46729
14.	महासमुंद	171317
15.	राजनांदगांव	196518
16.	रायगढ़	212503
17.	रायपुर	527061
18.	सरगुजा	372779
योग		3626651

प्रपत्र "ब"

क्रमांक	जिले का नाम	01-01-09 से 23-12-09 की अवधि में निरस्त किये गये राशनकार्डों की संख्या		
		निरस्त किये गये कार्ड संख्या (3)	स्वेच्छा से जमा किया गया (4)	कुल निरस्त कार्डों की संख्या (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कवर्धा	505	590	1095
2.	कांकेर	4824	0	4824
3.	कोरवा	3997	432	4429
4.	कोरिया	3304	0	3304
5.	जसपुर	841	47	888
6.	जांजगीर	4115	3	4118
7.	दंतेवाड़ा	2641	0	2641
8.	दुर्ग	15785	11588	27373
9.	धमतरी	1471	0	1471
10.	नारायणपुर	98	0	98
11.	बस्तर	8170	248	8418
12.	बिलासपुर	9685	1280	10965
13.	बीजापुर	3357	0	3357
14.	महासमुंद	2524	39	2563
15.	राजनांदगाँव	2618	222	2840
16.	रायगढ़	7988	0	7988
17.	रायपुर	13013	7	13020
18.	सरगुजा	11078	773	11851
योग		96014	15229	111243

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 494) के भाग (ख) की जानकारी]

बी.पी.एल. परिवारों के लिए चिन्हांकन हेतु मापदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों का चिन्हांकन का कार्य राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जिला प्रशासन के कर्मचारियों के सहयोग से कराया जाता है. खाद्य विभाग द्वारा बी.पी.एल. परिवारों के चिन्हांकन का कार्य नहीं किया जाता है अर्थात् बी.पी.ए. सर्वे में शामिल परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जाता है. केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2002 एवं शहरी क्षेत्र में 1997-98 में सर्वेक्षित बी.पी.एल. परिवार को गरीबी रेखा कार्ड जारी करने के निर्देश दिये गये हैं. किन्तु राज्य शासन द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में 1991 एवं 1997-98 में सर्वेक्षित गरीब परिवारों को तथा शहरी क्षेत्र में 1991, 1997 तथा 2007 सर्वेक्षित गरीब परिवारों को भी राशन कार्ड जारी किया गया है.

1. ग्रामीण क्षेत्र—

बी.पी.एल. योजना में पंजीयन हेतु पात्रता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित 13 मानदण्डों आधार पर राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 के ग्रामीण सर्वेक्षण में किया गया है, जिसके आधार निम्नानुसार है—

1. कृषि योग्य भूमि का रकबा, 2. मकान का प्रकार, 3. वस्त्रों की उपलब्धता, 4. खाद्यान्न सुरक्षा, 5. स्वच्छता, 6. उपलब्ध घरेलू उपभोक्ता सामग्री, 7. साक्षरता, 8. श्रम शक्ति का स्तर, 9. आजीविका का साधन, 10. बच्चों की स्थिति, 11. ऋणग्रस्तता का प्रकार, 12. पलायन का कारण, 13. परिवार द्वारा चाही गयी सहायता की प्राथमिकताएं शामिल हैं.

2. शहरी क्षेत्र—

शहरी बी.पी.एल. योजना में पंजीयन हेतु पहचान एवं गणना का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर राज्य शासन द्वारा वर्ष 2007-08 की शहरी सर्वेक्षण में किया गया है, जिसके आधार निम्नानुसार हैं—

(क) जीवन दशा—1. छत, 2. फर्श, 3. पानी, 4. स्वच्छता (ख) शिक्षा स्तर (ग) रोजगार प्रकार (घ) घर के बच्चे.

3. अन्वयोदय अन्न योजना—

भारत सरकार द्वारा अन्वयोदय अन्न योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों में से 38.34 प्रतिशत अर्थात् गरीब परिवारों को चिन्हांकन हेतु निर्धारित किया गया है. अतः राज्य शासन द्वारा अन्वयोदय परिवारों के लिए चिन्हांकन का आधार निम्नानुसार बनाया गया है :—

(अ) भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पकार/दस्तकार, यथा-कुम्हार, चमड़े का कार्य करने वाले, जुलाहे, बटई झुगियों में निवासरत एवं असंगठित क्षेत्रों से दैनिक आजीविका कमाने वाले समूह यथा-भारवाहक/कुली, रिक्शा चालक, हाथ टेला चलाने वाले, फल-फूल के लघु विक्रेता, सपेरा, कूड़ा-कचरा बीनने वाले, मोची, निराश्रित एवं ऐसे ही अन्य अशिक्षित नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत समूह.

(ब) विधवा अथवा गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति पर आश्रित परिवार, निःशक्त व्यक्ति, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिन्हें स्थायी आजीविका अथवा सामाजिक सहायता प्राप्त न हो.

(स) 60 वर्ष से या उससे अधिक आयु के विधवाएं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति अथवा निःशक्त व्यक्ति तथा एकाकी महिला अथवा पुरुष जिन्हें परिवार अथवा समाज से कोई भी सहायता अथवा जीवन निर्वाह हेतु निश्चित सहयोग प्राप्त न हो.

(द) समस्त विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवार.

अन्वयोदय योजना के तहत हितग्राही का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्र में साधारण सभा द्वारा किया जाता है.

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 535) के भाग (क) की जानकारी]

क्र. (1)	जिला (2)	खाद्य विभाग में पंजीकृत राईस मिलों की संख्या (3)
1.	कवर्धा	19
2.	कांकेर	31
3.	कोरबा	36
4.	कोरिया	12
5.	जशपुर	20
6.	जांजगीर-चाम्पा	142
7.	दन्तेवाड़ा	8
8.	दुर्ग	177
9.	धमतरी	144
10.	बस्तर	56
11.	बिलासपुर	148
12.	महासमुंद	123
13.	राजनांदगांव	64
14.	रायगढ़	99
15.	रायपुर	295
16.	सरगुजा	62
कुल योग		1436

परिशिष्ट "सात"
[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क. 272) के भाग (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायगढ़ एवं जशपुर जिले में सार्वजनिक कितरण प्रणाली के तहत सत्र 2008-09 में खाद्यान्न के परिवहन हेतु प्राप्त निविदा की संख्या—

1. जिला-रायगढ़ हेतु प्राप्त निविदा की संख्या—

क्र.	बेस डिपो का नाम	एल.आर.टी. (सामान्य)	द्वार प्रदाय	रेक प्वाइंट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायगढ़	3	2	3
2.	खरसिया	6	5	3
3.	किरोडोमल नगर	2	—	—
4.	सारंगढ़	2	5	—
5.	घरघोड़ा	—	3	—
6.	लैसुंगा	—	2	—
7.	बरमकेला	—	3	—
8.	धर्मजयगढ़	—	2	—

1. जिला-जशपुर हेतु प्राप्त निविदा की संख्या—

क्र.	बेस डिपो का नाम	एल.आर.टी. (सामान्य)	द्वार प्रदाय	रेक प्वाइंट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जशपुर	1	1	—
2.	पत्थलगांव	2	3	—
3.	बगीचा	—	2	—
4.	कुनकुरी	—	2	—

प्रपत्र "ब"

रायगढ़ एवं जशपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सत्र 2008-09 में खाद्यान्न के परिवहन हेतु स्वीकृत दरों की जानकारी—

A जिला रायगढ़ हेतु स्वीकृत दरें—

1. लंबी दूरी परिवहन कार्य (सामान्य) हेतु स्वीकृत निविदा दर (प्रति टन में)—

लौड (1)	रायगढ़ (2)	खरसिया (3)	किरोडीमल नगर (4)	सारंगढ़ (5)
स्थानीय	171.50	144.00	156.00	154.00
1-25 किमी हेतु	9.94	6.96	9.62	8.88
1-50 किमी हेतु	7.43	5.45	7.20	7.20
1-100 किमी हेतु	4.56	3.87	4.39	4.06
1-150 किमी हेतु	3.04	2.80	2.93	2.70
1-200 किमी हेतु	2.97	2.71	2.86	2.64
1-250 किमी हेतु	2.77	2.60	2.67	2.46
1-300 किमी हेतु	2.74	2.43	2.64	2.44
1-400 किमी हेतु	2.70	2.40	2.60	2.40
1-500 किमी हेतु	2.57	2.28	2.47	2.28
1-750 किमी हेतु	-	2.16	2.16	-

2. द्वार प्रदाय परिवहन कार्य हेतु स्वीकृत निविदा दर (दर प्रति टन)

ब्लेस डिपो का नाम (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	दर (3)
रायगढ़	रायगढ़	235.00
	पुसौर	245.00
खरसिया	खरसिया	155.00
धरघोड़ा	धरघोड़ा	169.00
	तमनार	199.50
लैलुंगा	लैलुंगा	210.00
सारंगढ़	सारंगढ़	205.00
बरमकेला	बरमकेला	200.00
धर्मजयगढ़	धर्मजयगढ़	220.00
	कापू	240.00

3. हम्माली एवं परिवहन कार्य हेतु स्वीकृत निविदा दर

रेक प्वाइंट का नाम (1)	65 कि.ग्रा. से कम वजन शक्कर हेतु दर (2)	65 कि.ग्रा. से कम वजन चावल हेतु दर (3)	250 कि.ग्रा. से अधिक वजन खारदाना हेतु दर (4)
रायगढ़	18.25 रु. प्रति बोरा	17.50 रु. प्रति बोरा	--
खरसिया	--	7.97 रु. प्रति बोरा	--

B जिला जशपुर हेतु स्वीकृत दरें—

1. लंबी दूरी परिवहन कार्य (सामान्य) हेतु स्वीकृत निविदा दर (प्रति टन में)—

लंबी दूरी	जशपुर	पन्थलगाँव
(1)	(2)	(3)
स्थानीय	—	137.00
1-25 किमी हेतु	9.95	8.15
1-50 किमी हेतु	5.95	6.25
1-100 किमी हेतु	3.95	3.95
1-150 किमी हेतु	3.95	3.95
1-200 किमी हेतु	3.00	3.25
1-250 किमी हेतु	3.00	3.15
1-300 किमी हेतु	2.80	2.80
1-400 किमी हेतु	2.20	2.35
1-500 किमी हेतु	2.20	2.28
1-750 किमी हेतु	-	-

2. द्वार प्रदाय परिवहन कार्य हेतु स्वीकृत निविदा दर (दर प्रति टन)

धेस लिपि का नाम	विकासखण्ड का नाम	दर
(1)	(2)	(3)
जशपुर	जशपुर	252.00
	मनोरा	282.00
	दुलदुला	276.00
धगौधा	धगौधा	269.00
	पन्थलगाँव	222.00
कुनकुरी	काँसाबेल	250.00
	कुनकुरी	198.00
	काँसाबेल	222.00
	फरसबहार	248.00

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 589) की जानकारी]

अ. वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रदत्त राशि की जानकारी

स. क्र.	कार्य का विवरण	भद	आवंटन राशि (लाखों में)	आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विकास कार्यों हेतु	चुंगी क्षतिपूर्ति	20.00	8247 01-10-2008
2.	पेयजल संकट निवारण हेतु	विशेष घटक	5.00	1066 26-02-2009
योग			25.00	

ब. वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रदत्त राशि की जानकारी

स. क्र.	कार्य का विवरण	भद	आवंटन राशि (लाखों में)	आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कार्यालय भवन हेतु	राज्य वित्त आयोग	10.00	2676 01-06-2009
2.	वार्डवार मूलभूत विकास कार्य	चुंगी क्षतिपूर्ति	25.00	2911 17-06-2009
3.	बारहवां वित्त आयोग	बारहवां वित्त आयोग	10.00	4055 06-08-2009
योग			45.00	

परिशिष्ट "नौ"
[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 488) के भाग (क) की जानकारी]

जिलेवार, थानावार दर्ज प्रकरणों की जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	थाना का नाम (3)	आरोपी का नाम (4)	की गई कार्यवाही का विवरण (5)
1.	रायगढ़	सिटी कोतवाली, रायगढ़	रोजकुमार अग्रवाल एवं रोहित कुमार साहू	3750 ली वर मिट्टी तेल राजसत
2.	जशपुर	पथलगांव	01 श्री प्रभात पिता फिरदियुस केरकेट्टा. 02 श्री भरत लाल पिता लखीराम, अग्रवाल	न्यायालय में चालान पेश. अब्त चावल एवं वाहन राजसत की कार्यवाही की जा रही है. प्रकरण विचाराधीन है.
3.	जशपुर	फरसाबहार	01 श्री सुन्द साय/ नानसाय सरपंच 02 श्री राम लाल/पतरस, सचिव ग्राम पंचायत सहसपुर.	न्यायालय में चालान पेश. दुकान निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है. प्रकरण विचाराधीन है.
4.	जशपुर	फरसाबहार	01 श्री शिवनाथ साय/ रामनाथसाय सरपंच. 02 श्री जगेश्वर राम/रामसाय सचिव 03 श्री जोहन पिता रंगा मित्र उचित मूल्य दुकान कोल्हेनझरिया	चालान पेश करना शेष है. दुकान निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है. प्रकरण विचाराधीन है.
5.	जशपुर	कुनकुरी	01 श्री योगेश प्रसाद/ईश्वर प्रसाद खरसिया. 02 श्री भरत गुप्ता/जगन गुप्ता कुनकुरी.	चालान पेश करना शेष है. विवेचना जारी है.
6.	जशपुर	कुनकुरी	01 श्री विलियम/मारकुस कड़ा सरपंच. 02 श्री रविन्द्र/सिलेब्रेनियुस मित्र सचिव ग्राम पंचायत खुटगांव.	चालान पेश करना शेष है. दुकान निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है. प्रकरण विचाराधीन है.
7.	जशपुर	जशपुर	01 श्री मजलू राम/दस्तु सरपंच 02 श्री ओमप्रकाश किन्नपोट्टा सचिव, उचित मूल्य दुकान, पोड़ीपटकोना.	चालान पेश करना शेष है. दुकान निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है. प्रकरण विचाराधीन है.
8.	जशपुर	सन्ना	01 श्री देवलाल/मधव सरपंच 02 श्री संग्राम सिंह सचिव उचित मूल्य दुकान पटिया.	चालान पेश करना शेष है. दुकान निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है. प्रकरण विचाराधीन है.
9.	जशपुर	बगीचा	01 श्री मजलू राम/दस्तु सरपंच 01 श्री मइवाराम सरपंच 02 श्री वेदव्यास शर्मा सचिव, उचित मूल्य दुकान पण्डरापाठ.	चालान पेश करना शेष है. दुकान निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है. प्रकरण विचाराधीन है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	सरगुजा	अम्बिकपुर	उच्चिष्ठ मूल्य दुकान क्रमांक 3 के विक्रेता श्री अभय साहु.	न्यायालय में विचारार्थीन
11.	सरगुजा	सीतापुर	01 श्री कैलाश गुप्ता आदर्श नगर सीतापुर.	न्यायालय में विचारार्थीन

परिसिद्ध "दस"
[तार्यांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 14) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2009-10 में दिनांक 26 दिसंबर, 2010 तक दलहन एवं शक्कर के अवैध भण्डारण के दुर्ग प्रकरणों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	पंजीबद्ध किए गए प्रकरणों की संख्या	अप्त खाद्यान्न की मात्रा (किं. में)		प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण
			दलहन	शक्कर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राजनांदगांव	1	0	121.45	प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं होने के कारण अप्त सामग्री को मुक्त किया गया.
2.	दुर्ग	3	10591.1	0	दोषियों के विरुद्ध कलेक्टर न्यायालय दुर्ग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 "क" के तहत अप्त वस्तु में से 180000 रुपये मूल्य का दलहन राजसत किया गया.
3.	कजर्धा	3	5216	0	न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर जिला-कबीरघाम द्वारा दो प्रकरणों में 25-25 हजार रुपये का अर्पणद किया गया है तथा 01 प्रकरण में अप्त दलहन को मुक्त किया गया है.
4.	कोरवा	1	0	185	प्रकरण कलेक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है.
5.	बिलासपुर	3	1649.5	2920	प्रकरण कलेक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है.
6.	रायपुर	9	57303.1	800	दलहन के कुल 7 प्रकरणों में से 3 प्रकरणों में जयपुरा सामग्री के बाजार मूल्य में से राशि रुपये 175000 शासन के पक्ष में राजसत की गई. शेष 4 प्रकरण कलेक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है. शक्कर के 2 प्रकरणों में कुल 60000 रुपये मूल्य का शक्कर राजसत की गई.
7.	धमतरी	2	11778.2	0	150 किंटल चना राजसत किया गया.
8.	महसमुंद	1	0	1220	जयपुरा शक्कर में से 10000 रुपये मूल्य के बाजार का शक्कर शासन के पक्ष में राजसत किया गया.
योग		23	86537.9	5246.5	

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारोंकल प्ररुन संसुतु 21 (रू. 472) के डुग (ख) एवं (ग) की डुकनकरी]

प्रडतुर "अ"

वरुड 2009 डें कलरुे गुरे नलरुीरुकुण की डुकनकरी

वुरहुद एवं डुकुडुड डुरेणी के उरुडुग

रू. (1)	उरुडुग कल नलडु एवं डुतल (2)	नलरुीरुकुण की तलरुल (3)
1.	प्रकलरु इणुदरुडुीरु ललडुतेड, गुरलडु-हडुनेडुरल तहसुील डुकलडु, डुकलरु-डुकलडुगीरु-डुकलडु (ख. ग.)	13-02-2009 27-03-2009 25-04-2009 20-05-2009 17-07-2009 02-09-2009 23-10-2009 01-12-2009
2.	लुीरुकलरुडु इंडलरुडु ललडुतेड, अरसडुतेडल सीडुडुंत डुललंडु गुरुडुल नगर, डुकलरु-डुकलडुगीरु-डुकलडु (ख. ग.)	03-03-2009 24-04-2009 21-05-2009 08-06-2009 30-09-2009 02-12-2009
3.	लुीरुकलरुडु इंडलरुडु ललडुतेड, (कलरुलरुी डुकु(डुडुडुी ललरुडुडु डुकुन डुकलडुस), अरसडुतेडल सीडुडुंत डुललंडु गुरुडुल नगर, डुकलरु-डुकलडुगीरु-डुकलडु (ख. ग.)	02-12-2009
4.	अरसडुतेडल केरुडुीरुडु डुकलरु कडुडुनी डुरलरुडुवेत ललडुतेड, गुरुडुल नगर, डुकलरु-डुकलडुगीरु-डुकलडु (ख. ग.)	03-03-2009 24-04-2009 21-05-2009 09-06-2009 30-09-2009
5.	डेससु डुडुडु डुकलरु डेडुसु ललडुतेड, गुरलडु-डुकलरुहनी, डुकलडु, डुकलरु-डुकलडुगीरु-डुकलडु (ख. ग.)	09-01-2009 24-04-2009 16-06-2009 17-07-2009 22-10-2009 03-11-2009 01-12-2009
6.	डेससु खतुीसगदु डुकुील एणुड डुकलरु ललडुतेड, गुरलडु-अडुडुडु तहसुील डुकलडुडुल डुकलरु-डुकलडुगीरु-डुकलडु (ख. ग.)	09-01-2009 5-02-2009 03-03-2009 21-05-2009 17-07-2009 22-10-2009 30-11-2009
7.	डेससु लहरी डुकलरु एणुड डुकुील ललडुतेड, गुरलडु-डुकलरुडुल डुकलरु-डुकलडुगीरु-डुकलडु (ख. ग.)	05-02-2009 03-03-2009 20-05-2009 16-06-2009 17-07-2009 22-07-2009 30-07-2009
8.	डेससु के. डुडी. के. डुकलरु डुकलरु डुरलरुडुवेत ललडुतेड, गुरलडु-अडुडुडुल, अरुडुडुडुलरुल, डुकलरु-डुकलडुगीरु-डुकलडु (ख. ग.)	22-05-2009 30-07-2009 13-11-2009
9.	डेससु डेगलसुील डुकलरु एणुड इंडुीनलरुडुलरुग डुरलरुडुवेत ललडुतेड, गुरलडु-डुकुडी, तह. -डुकलडु डुकलरु-डुकलडुगीरु-डुकलडु (ख. ग.)	27-03-2009 02-09-2009

लघु श्रेणी के उद्योग

(1)	(2)	(3)
1.	मेसर्स चन्द्रपुर राईस मिल, चन्द्रपुर	21-01-2009
2.	मेसर्स भारत मिलिंग इण्डस्ट्रीज, पोस्ट-नैला	30-11-2009
3.	मेसर्स जगदीश प्रसाद अग्रवाल परबायलिंग यूनिट फगुरम, तहसील-सक्की	23-10-2009
4.	कृषक धान प्रक्रिया, फगुरम तहसील सक्की	23-10-2009
5.	मेसर्स विश्वनाथ परबायलिंग इण्डस्ट्रीज, पेट्रोल पंप चौक, जांजगीर रोड अकलतरा	30-11-2009
6.	मेसर्स श्याम परबायलिंग इण्डस्ट्रीज, बनारी नैला	02-09-2009
7.	मेसर्स पौरुमल राधावल्लभ श्री रामदुहाय राईस मिल, नैला जांजगीर	21-01-2009
8.	मेसर्स वैजनाथ इण्डस्ट्रीज पेण्डरी, जांजगीर	20-01-2009
9.	मेसर्स डोलोमाईट माइनिंग कारपोरेशन, नेहरू चौक बाराड़ा	29-06-2009
10.	मेसर्स रामनारायण सन्वनारायण अग्रवाल शंकर राईस मिल, जांजगीर	02-09-2009
11.	मेसर्स श्री महालक्ष्मी राईस मिल, पेण्डरी, जांजगीर	30-03-2009
12.	मेसर्स श्री बजरंग बली राईस मिल, पो.-सक्की	11-05-2009
13.	मेसर्स श्री गजानंद राईस मिल, ग्राम-भाटा, पो.-फगुरम	30-08-2009
14.	मेसर्स वैहर स्टोन, ग्राम-चंडीपारा, पामगढ़	30-03-2009
15.	मेसर्स हसदेव राईस मिल, पेण्डरी, जांजगीर	15-05-2009
16.	मेसर्स मुकेश स्टोन क्रशर, ग्राम-किराही, अकलतरा	11-08-2009
17.	मेसर्स श्री गणेश मिनरल्स, ग्राम-अकलतरा	02-09-2009
18.	मेसर्स संजय कुमार खण्डेलिया स्टोर क्रशर, तरीद, अकलतरा	11-05-2009
19.	मेसर्स भवानी स्टोन क्रशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम-करमंदा, तहसील-जांजगीर	20-01-2009
20.	मेसर्स श्री श्याम इण्टर्राइजेज, ग्राम-बिरगहनी, चांपा	29-06-2009
21.	मेसर्स श्री बालाजी माइनिंग, ग्राम-सक्रेली, तहसील-सक्की	03-08-2009
22.	मेसर्स श्री क्रशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बिरगहनी, चांपा	16-06-2009
23.	मेसर्स श्री कृष्णा क्रशर उद्योग, ग्राम -बिरगहनी, तह.-जांजगीर	20-01-2009
24.	मेसर्स साकेत आक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड, चांपा	21-05-2009
25.	मेसर्स आर. एस. मिनरल्स, ग्राम-किराही तहसील-जांजगीर	17-02-2009
26.	मेसर्स कुंज बिहारी अग्रवाल क्रशर उद्योग, ग्राम-बिरगहनी, पोस्ट-चांपा	03-03-2009
27.	मेसर्स राजेन्द्र कुमार राठीर स्टोन क्रशर, ग्राम-बिरगहनी, चांपा	20-01-2009
28.	मेसर्स छापरिया मिनरल्स, ग्राम-तरीद, अकलतरा	27-03-2009
29.	मेसर्स भारत स्टोन क्रशिंग इण्ड. (पूर्व नाम मे. महामाया प्रस्तर) ग्राम-बनाहिल, अकलतरा	17-02-2009
		03-03-2009
		27-03-2009
		22-05-2009
30.	मेसर्स छाबड़ा मिनरल्स, लटिया रोड अकलतरा	30-06-2009
31.	मेसर्स गुरुवाईन स्टोन क्रशर, ग्राम-किराही, जांजगीर-चांपा	17-02-2009
		03-03-2009
		06-06-2009
32.	मेसर्स आदित्य मिनरल्स तरीद अकलतरा, जांजगीर-चांपा	11-05-2009
33.	मेसर्स कुंज बिहारी अग्रवाल क्रशर उद्योग, ग्राम-देवरहा तहसील-चांपा	20-01-2009
34.	मेसर्स आर. एस. क्रशर उद्योग, बिरगहनी चांपा	27-03-2009
35.	मेसर्स जिंदल मेटल उद्योग, ग्राम-सक्रेली, तहसील-सक्की जांजगीर-चांपा	16-06-2009
36.	मेसर्स भवानी ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, कुदरी जिला-जांजगीर-चांपा	20-01-2009
37.	मेसर्स विजय ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, कुदरी जिला-जांजगीर-चांपा	14-09-2009

(1)	(2)	(3)
38.	मेसर्स हरि मेटल इण्डस्ट्रीज ग्राम-बिरगहनी, चांपा	02-09-2009
39.	मेसर्स राधा मोहन मिनरल्स इण्डस्ट्रीज, अकलतरा, जांजगीर-चांपा	17-02-2009
		03-03-2009
		27-03-2009
		22-05-2009
40.	मेसर्स बालाजी एण्ड संस क्रशर उद्योग, बनाहिल, अकलतरा	17-02-2009
		03-03-2009
41.	मेसर्स बालाजी एण्ड संस माईन्स, किरारी, अकलतरा	16-03-2009
42.	मेसर्स महामाया मिनरल्स, ग्राम-तरौद, अकलतरा, जांजगीर-चांपा	17-02-2009
		03-03-2009
		22-05-2009
43.	मेसर्स श्री अग्रसेन मिनरल्स, ग्राम-बिरगहनी, चांपा	13-02-2009
44.	मेसर्स शिव क्रशर उद्योग, ग्राम-किरारदा, जांजगीर-चांपा	20-01-2009
		01-12-2009
45.	मेसर्स जे. एम. स्टोन क्रशर, ग्राम-हरेटो तहसील-सक्ती	29-06-2009
46.	मेसर्स मी शारदा क्रशर उद्योग, ग्राम-बिरगहनी चांपा	22-06-2009
47.	मेसर्स बग्ल एंड जाजोदिया कं. (क्रशर), ग्राम-तरौद, अकलतरा	17-02-2009
		03-03-2009
		02-12-2009
48.	मेसर्स बाग्ला एंड जाजोदिया कं., ग्राम-तरौद, अकलतरा	17-02-2009
		03-03-2009
49.	मेसर्स मी काली माईन्स, ग्राम-किरारी, अकलतरा	30-03-2009
50.	मेसर्स मिहिर मिनरल्स, ग्राम-बनाहिल, अकलतरा	17-02-2009
		03-03-2009
		27-03-2009
		22-05-2009
51.	मेसर्स अग्रवाल मेटल, धनेली भाटा, बाराद्धर जांजगीर-चांपा	22-06-2009
52.	मेसर्स राज इण्डस्ट्रीज ग्राम-सिक्की तहसील-चांपा	02-09-2009
53.	मेसर्स एम. बी. वोडर्स, ग्राम-देवरहा, तहसील-जांजगीर	27-03-2009
54.	मेसर्स जे. के. ब्रिक्स, ग्राम-दर्राभाठा, तहसील-जांजगीर	02-09-2009
55.	मेसर्स भवानी फ्लाई ऐश ब्रिक्का इण्ड ग्राम-पुटिया, तहसील-जांजगीर	20-01-2009
56.	मेसर्स निर्भय क्रशर उद्योग, ग्राम-बिरगहनी चांपा, जांजगीर-चांपा	31-01-2009
		13-02-2009
57.	मेसर्स वाणी मिनरल्स, ग्राम-तरौद, अकलतरा, जांजगीर-चांपा	02-12-2009
58.	मेसर्स अहमद केमिकल्स, ग्राम-तरौद, अकलतरा, जांजगीर-चांपा	11-08-2009
59.	मेसर्स शंकर बाबला उद्योग, ग्राम-कंचनपुर, तहसील-सक्ती, जांजगीर-चांपा	12-02-2009
60.	मेसर्स नरेन्द्र कुमार राठौर क्रशर उद्योग, ग्राम-बिरगहनी चांपा	03-03-2009
61.	मेसर्स शुभ स्टोन क्रशर, ग्राम-जगदल्ली, सक्ती	16-06-2009
62.	मेसर्स राजकुमार चौबे स्टोन क्रशर ग्राम-तरौद, अकलतरा	21-01-2009
63.	मेसर्स अंजीर कुमार रत्नाकर स्टोन क्रशर, ग्राम-सलखन	02-12-2009
64.	मेसर्स सिंग मिनरल्स एंड प्लाक्स सर्विस, ग्राम-बनाहिल अकलतरा	17-02-2009
		03-03-2009
		27-03-2009
		22-05-2009
65.	मेसर्स ताज मिनरल्स, ग्राम-अकलतरा, जांजगीर-चांपा	16-06-2009
		30-11-2009
66.	मेसर्स बी. पी. इस्पात प्राइवेट लि., मसनियाकला, सक्ती, जांजगीर-चांपा	13-02-2009

(1)	(2)	(3)
67.	मेसर्स मुकेश बालीवाल स्टोन माइंस, ग्राम-अकलतरा, तहसील-जांजगीर	20-01-2009
68.	मेसर्स मोहम्मद लुकमान माइंस, ग्राम-अकलतरा, जांजगीर-चांपा	16-06-2009
69.	मेसर्स श्रीमती पुष्पादेवी अग्रवाल क्रशर उद्योग, ग्राम-तरौद, अकलतरा	17-02-2009
		03-03-2009
		27-03-2009
		22-05-2009
70.	श्रीमती किरण देवी मिश्रल क्रशर उद्योग, ग्राम-तरौद, अकलतरा	17-02-2009
		03-03-2009
		27-03-2009
		21-05-2009
71.	मेसर्स लक्ष्मणेश्वर स्टोन क्रशर, ग्राम-सुकुलपारा, खरौद, तह. पामगढ़, जांजगीर-चांपा	17-09-2009
72.	मेसर्स मां जगदम्बा परबायलिंग इण्डस्ट्रीज बनारी, जांजगीर-चांपा	14-09-2009
73.	मेसर्स प्रकाश फुड इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चन्द्रपुर, तह. डभरा, जांजगीर-चांपा	21-01-2009
74.	मेसर्स गीता फुड इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चन्द्रपुर, तह. डभरा, जांजगीर-चांपा	07-02-2009
75.	मेसर्स जी. आर. एस. मिनरल्स (क्रशर यूनिट), ग्राम-नरियरा, तरौद जांजगीर-चांपा	17-02-2009
		03-03-2009
		27-03-2009
		16-06-2009
76.	मेसर्स बालाजी माइनिंग, ग्राम-फरहदा, अकलतरा, जांजगीर-चांपा	27-03-2009
77.	मेसर्स ओम महामाया इंटर ग्राइजेज, (क्रशर उद्योग), ग्राम-किरारी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा	22-10-2009
78.	मेसर्स श्री सुबोध शुक्ला माइंस-2, ग्राम-सुकुलपारा, खरौद, तहसील पामगढ़	02-12-2009
79.	मेसर्स श्री सुबोध शुक्ला माइंस-1, ग्राम-सुकुलपारा, खरौद, तहसील पामगढ़	02-12-2009
80.	मेसर्स डी. एल. के.टी.ए. एंड कंपनी, ग्राम-अकलतरा, तहसील जांजगीर	20-01-2009
81.	मेसर्स सुरेश कुमार सिंह माइंस, ग्राम-तरौद, तहसील जांजगीर	04-03-2009
82.	मेसर्स जय अंबे पेट्टी प्रोसेसिंग, ग्राम-बाढोसागर, तहसील -मालखरौदा	12-02-2009
83.	मेसर्स दीपक पेट्टी प्रोसेसिंग, ग्राम-अकलतरा, तहसील -जांजगीर	21-10-2009
84.	मेसर्स विजय लक्ष्मी पेट्टी प्रोसेसर्स, ग्राम-अकलतरा, तहसील -जांजगीर	31-10-2009
85.	मेसर्स गिरीराज पेट्टी प्रोसेसर्स, ग्राम-नरियरा, तहसील जांजगीर	02-12-2009
86.	मेसर्स राजेश कुमार मोदी स्टोन क्रशर, ग्राम-बिरगहनी, जांजगीर	20-03-2009
87.	मेसर्स दादी क्रशर उद्योग, ग्राम-बिरगहनी, जांजगीर	29-06-2009
88.	मेसर्स पनस्पाम प्रसाद चंद्रा माइंस, ग्राम-छौराघाटी, तहसील- जैजैपुर	01-12-2009
89.	मेसर्स गुरुश्री मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-बनरी बाण्डार, तहसील- सक्ती	03-03-2009
		27-03-2009
		05-03-2009
		22-05-2009
		16-06-2009
90.	मेसर्स मां मंगला स्टोन क्रशर, ग्राम-किरारी, तहसील-जांजगीर	17-09-2009
91.	मेसर्स चंद्रा स्टोन क्रशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बंसतपुर, तहसील- चांपा	01-12-2009
92.	मेसर्स के. जी. पी. क्रशर उद्योग, ग्राम-कुटराबोर्ड, तहसील- जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा	23-10-2009
93.	मेसर्स जय किसान फुड प्रोसेसर्स, तरौद, पो. नरियरा, जिला -जांजगीर-चांपा	25-07-2009
94.	मेसर्स श्री श्याम पेट्टी प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बनारी, तहसील-जांजगीर	22-10-2009
95.	मेसर्स सावित्री परबायलिंग यूनिट, ग्राम-कुधरी, तहसील-मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	23-10-2009
96.	मेसर्स बालाजी ब्रिक्स, ग्राम-सक्ती, तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा	29-06-2009
97.	मेसर्स ओम फ्लाई एश ब्रिक्स, ग्राम-लच्छनपुर, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	11-08-2009
98.	मेसर्स शंकर मिनरल्स, ग्राम-सुकुलपारा खरौद, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा	03-08-2009
99.	मेसर्स पंकज फ्लाई एश ब्रिक्स, ग्राम-देवरी, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा	17-07-2009

(1)	(2)	(3)
100.	मेसर्स जय दुर्गा टेडर्स, ग्राम-बनबुडका, पो. सकती, जिला-जांजगीर-चांपा	23-10-2009
101.	मेसर्स विष्णु शैलेक फैक्ट्री यूनिट-2, वार्ड नं. 14, सकती, जिला-जांजगीर-चांपा	23-10-2009
102.	मेसर्स दीपक स्टोन क्रशर, ग्राम-बंसलपुर तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	01-12-2009
103.	मेसर्स हाटिक सीमेंट एंड स्टील, ग्राम-लच्छनपुर, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	25-04-2009 29-04-2009

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	मेसर्स मिहिर मिनरल्स प्रो. श्री अजय बजाज, ग्राम-बनाहिल (अकलतरा) जिला-जांजगीर-चांपा.	03-03-2009 27-03-2009	उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत पत्र दिनांक 05-03-2009 द्वारा नोटिस जारी किया गया. उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत पत्र दिनांक 02-04-2009 द्वारा उत्पादन बंद करने के लिये निर्देश जारी किया गया.
9.	मेसर्स बालाजी एंड संस (क्रशर उद्योग) ग्राम-बनाहिल, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	03-03-2009 27-03-2009	उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत पत्र दिनांक 05-03-2009 द्वारा नोटिस जारी किया गया. उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत पत्र दिनांक 2-4-2009 द्वारा उत्पादन बंद करने के लिये निर्देश जारी किया गया.
10.	मेसर्स सिंग मिनरल्स एंड एलायंस सर्विस, प्रो. श्री दलजीत सिंह कालरा, ग्राम-बनाहिल, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	03-03-2009 27-03-2009	उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत पत्र दिनांक 05-03-2009 द्वारा नोटिस जारी किया गया. उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने हेतु पत्र दिनांक 02-04-2009 द्वारा निर्देश जारी किये गये.
11.	मेसर्स श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल क्रशर उद्योग, ग्राम-तरीद, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	03-03-2009 27-03-2009	उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत पत्र दिनांक 05-03-2009 द्वारा नोटिस जारी किया गया. उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने हेतु पत्र दिनांक 02-04-2009 द्वारा निर्देश जारी किये गये.
12.	मेसर्स श्रीमती किरण देवी मित्तल क्रशर उद्योग, प्रो. श्रीमती किरण देवी मित्तल ग्राम-तरीद, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	03-03-2009 27-03-2009	उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत पत्र दिनांक 05-03-2009 द्वारा नोटिस जारी किया गया. उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने हेतु पत्र दिनांक 02-04-2009 द्वारा निर्देश जारी किये गये.
13.	मेसर्स जी. आर. एस. मिनरल्स, (क्रशर यूनिट) ग्राम-नरियरा, तह.-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा.	03-03-2009 27-03-2009	उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत पत्र दिनांक 05-03-2009 द्वारा नोटिस जारी किया गया. उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत पत्र दिनांक 05-03-2009 द्वारा उद्योग बंद करने हेतु निर्देश जारी किया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	मेसर्स गुरु श्री मिनरल्स प्रा. लि., ग्राम-बस्ती बाराद्वार, तह.- सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा.	03-03-2009	उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत पत्र दिनांक 05-03-2009 को नोटिस जारी किया गया.
		27-03-2009	उद्योग को वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने हेतु पत्र दिनांक 02-04-2009 द्वारा निर्देश जारी किया गया.

परिसिद्ध "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क. 518) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

धान खरीदी के प्राप्त शिकायतों की जानकारी (वर्ष 2009-10)

क्र.	जिला	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र	जांचकर्ता विभाग	कार्यवाही दिनांक	रोकी गई/जवा की गई धान का विवरण (मात्रा किंम)	की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रायपुर	मल्दी	मल्दी	राजस्व/खाद्य	20-01-2010	240.80	जवा किया गया, कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया.
2.	रायपुर	भटगांव	भटगांव	राजस्व/खाद्य	27-11-2009	1617.00	जवा किया गया, कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया.
						योग	1857.80
3.	महासमुंद	सपोस	सपोस	राजस्व/खाद्य	20-01-2010	48.80	कार्यवाही प्रचलित एक आई आर दर्ज.
4.	महासमुंद	अकोरी	अकोरी	राजस्व/खाद्य	27-01-2010	180.00	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.
5.	महासमुंद	भूकेल	भूकेल	राजस्व/खाद्य	13-01-2010	272.86	कार्यवाही प्रचलित
6.	महासमुंद	लम्बर	लम्बर	राजस्व/खाद्य	02-12-2009	38.00	समिति प्रबंधक का धान खरीदी कार्य से पुषक.
7.	महासमुंद	ड्रलय	ड्रलय	राजस्व/खाद्य	13-01-2010	92.81	कार्यवाही प्रचलित
8.	महासमुंद	केना	केना	राजस्व/खाद्य	04-01-2010	160.00	5 गुना मंडी मुल्य जमा कराया गया.
9.	महासमुंद	केना	केना	राजस्व/खाद्य	22-01-2010	28.66	धान जबली किया गया.
10.	महासमुंद	नवरंगपुर	नवरंगपुर	राजस्व/खाद्य	22-01-2010	340.00	धान जबली किया गया.
11.	महासमुंद	सदा	सागरपाली	राजस्व/खाद्य	10-12-2009	260.00	एक आई आर दर्ज, केन्द्र प्रभारी को निलंबित किया गया.
						योग	1421.13
12.	धमतरी	मेधा	मेधा	राजस्व/खाद्य	19-11-2009	कड़ी सेक जारी	एक आई आर दर्ज, दोषी कर्मचारी को सेवा से पुषक किया गया.
13.	धमतरी	मदेली	मदेली	राजस्व/खाद्य	24-11-2009	180.00	जवा किया गया, कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया.
						योग	180.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	दुर्ग	चंद्रपुरी	चंद्रपुरी	पत्रस्य/खाद्य	18-01-2010	146.80	फिसानों क विपद एक आई. आर. कराया गया है.
					योग	146.80	
					बकाबोन	3605.73	

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 585) के भाग (ख) की जानकारी]

A. बी. पी. एल. हितग्राहियों के चयन हेतु मापदण्ड

बी. पी. एल. परिवारों के लिए चिन्हांकन हेतु मापदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों का चिन्हांकन का कार्य राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जिला प्रशासन के कर्मचारियों के सहयोग से कराया जाता है. खाद्य विभाग द्वारा बी. पी. एल. परिवारों के चिन्हांकन का कार्य नहीं किया जाता है. अपितु बी. पी. एल. सर्वे में शामिल परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जाता है. केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2002 एवं शहरी क्षेत्र में 1997-98 में सर्वेक्षित बी. पी. एल. परिवार को तारीखी रेखा कार्ड जारी करने के निर्देश दिये गये हैं.

1. ग्रामीण क्षेत्र -

बी. पी. एल. योजना में पंजीयन हेतु पात्रता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित 13 मानदण्डों आधार पर राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 के ग्रामीण सर्वेक्षण में किया गया है, जिसके आधार निम्नानुसार है -

1. कृषि योग्य भूमि का रकबा, 2. मकान का प्रकार, 3. बच्चों की उपलब्धता, 4. खाद्यान्न सुरक्षा 5. स्वच्छता, 6. उपलब्ध परेतु उपभोक्ता सामग्री, 7. साक्षरता, 8. भ्रम राशिक का स्तर 9. आजीविका का साधन, 10. बच्चों की स्थिति, 11. ऋणग्रस्तता का प्रकार, 12. पलायन का कारण, 13. परिवार द्वारा चाही गयी सहायता की प्राथमिकताएं शामिल है.

2. शहरी क्षेत्र -

शहरी बी. पी. एल. योजना में पंजीयन हेतु पहचान एवं गणना का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर राज्य शासन द्वारा वर्ष 2007-08 की शहरी सर्वेक्षण में किया गया है, जिसके आधार निम्नानुसार हैं-

(क) जीवन दशा - 1. उत, 2. फर्ज, 3. पानी, 4. स्वच्छता (ख) शिक्षा स्तर (ग) रोजगार प्रकार (घ) घर के बच्चे.

B. अन्वोदय अन्न योजना के हितग्राहियों के चयन हेतु मापदण्ड -

भारत सरकार द्वारा अन्वोदय अन्न योजना के अंतर्गत बी. पी. एल. परिवारों में से 38.34 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को चिन्हांकन हेतु निर्धारित किया गया है. अतः राज्य शासन द्वारा अन्वोदय परिवारों के लिए चिन्हांकन का आधार निम्नानुसार बनाया गया है :-

(अ) भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पकार/दस्तकार, यथा-कुम्हार, चमड़े का कार्य करने वाले, जुलाहे, बड़ई, धूमिखें में निवासित एवं असंगठित क्षेत्रों से दैनिक आजीविका कमाने वाले समूह यथा-भारवाहक/कुली, रिक्शा चालक, हाथ डेला चलाने वाले, फल-पूल के लघु विक्रेता, सपेरा, कूड़ा-कचरा बीनने वाले, मोची, निराश्रित एवं ऐसे ही अन्य अति निर्धन नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित समूह.

(ब) विधवा अथवा गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति पर आश्रित परिवार, निःशक्त व्यक्ति, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिन्हें स्वाधी आजीविका अथवा सामाजिक सहायता प्राप्त न हो.

(स) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के विधवाएं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति अथवा निःशक्त व्यक्ति तथा एकाकी महिला अथवा पुरुष किन्हीं परिवार अथवा समाज से कोई भी सहायता अथवा जीवन निर्वाह हेतु निश्चित सहयोग प्राप्त न हो.

(द) समस्त विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवार.

अन्वोदय योजना के तहत हितग्राही का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्र में साधारण सभा द्वारा किया जाता है.

C. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के हितग्राहियों के चयन हेतु मापदण्ड -

इस योजना का उद्देश्य केन्द्र सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से छूटे हुए गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री उपलब्ध कराना है :-

- (क) ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे गैर अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति के नीले राशनकार्डधारी परिवारों को भी बी.पी.एल. दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री उपलब्ध कराना, जिनका नाम वर्ष 1991 अथवा वर्ष 1997 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में है, किंतु वर्ष 2002 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में नहीं है.
- (ख) शहरी क्षेत्रों के ऐसे गैर अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति के नीले राशनकार्डधारी परिवारों को भी बीपीएल दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री उपलब्ध कराना, जिनका नाम वर्ष 1991 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में है किंतु वर्ष 1997 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में नहीं है.
- (ग) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के नीले राशनकार्डधारी ऐसे परिवारों को भी अन्त्योदय दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री उपलब्ध कराना, जिनके नाम वर्ष 1991 अथवा वर्ष 1997 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में है अथवा जो नीले राशनकार्डधारी नहीं है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में शामिल होने के कारण बीपीएल राशनकार्ड की पात्रता रखते हैं, परंतु केन्द्र सरकार द्वारा अन्त्योदय योजना के लिए 38.34 प्रतिशत की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण जिनके अन्त्योदय योजना का लाभ देने के लिए अन्त्योदय राशनकार्ड नहीं बनाए जा सके हैं.
- (घ) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे हितग्राहियों को बीपीएल दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री उपलब्ध कराना जिनके पास बीपीएल, अन्त्योदय अथवा अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्ड नहीं है.
- (ङ) राज्य शासन द्वारा चिन्हांकित प्रदेश के निःशक्तजन.

परिशिष्ट "खीकूह"
[राश्ट्रिय प्रश्न संख्या 25 (क्र. 604) की तालिका]

विधान द्वारा नगर पंचायतों को वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में जारी राशि का विवरण

क्र.	निकाश का नाम	जिला	वर्षवार कुल स्वीकृत राशि लाखों में	
			2008-09	2009-10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नगर पंचायत अडोरा	राजपुर	164.43	85.07
2.	नगर पंचायत सिमरा	राजपुर	249.50	61.90
3.	नगर पंचायत भटनांव	राजपुर	124.50	122.02
4.	नगर पंचायत लखनपुर	राजपुर	112.00	103.84
5.	नगर पंचायत छपीरा	राजपुर	127.50	129.95
6.	नगर पंचायत रुखन	राजपुर	197.09	58.96
7.	नगर पंचायत टाकिस	राजपुर	175.58	84.92
8.	नगर पंचायत रुखकोर	राजपुर	323.09	44.50
9.	नगर पंचायत कातरी	राजपुर	117.31	44.50
10.	नगर पंचायत गौरीबाग	राजपुर	20.00	45.00
11.	नगर पंचायत फिरोबा	राजपुर	20.00	90.07
12.	नगर पंचायत माना बैरवा	राजपुर	20.00	86.41
13.	नगर पंचायत हुम्ना	राजपुर	20.00	55.91
14.	नगर पंचायत छुरा	राजपुर	20.00	45.00
15.	नगर पंचायत मुंदा	राजपुर	20.00	45.00
16.	नगर पंचायत बिलवाडी	राजपुर	20.00	49.00
17.	नगर पंचायत कुम्भ	भवाडी	98.22	74.78
18.	नगर पंचायत माताकोर	भवाडी	20.00	45.00
19.	नगर पंचायत नगरी	भवाडी	50.00	45.00
20.	नगर पंचायत बखारा	भवाडी	20.00	77.37
21.	नगर पंचायत आमरी	भवाडी	20.00	55.00
22.	नगर पंचायत भागवतपुर	महाराजपुर	221.66	45.20
23.	नगर पंचायत बिभीरा	महाराजपुर	89.22	64.78
24.	नगर पंचायत सदानवाडी	महाराजपुर	168.93	85.07
25.	नगर पंचायत बरवा	महाराजपुर	116.45	66.12
26.	नगर पंचायत हुमनांव	महाराजपुर	20.00	45.00
27.	नगर पंचायत अडिवाडा	मुर्दा	233.79	105.36
28.	नगर पंचायत भवावा	मुर्दा	154.88	86.67
29.	नगर पंचायत पाठन	मुर्दा	162.31	60.92
30.	नगर पंचायत सान्डीवा	मुर्दा	99.22	68.78
31.	नगर पंचायत मुन्दाडी	मुर्दा	134.52	64.78
32.	नगर पंचायत सोडी	मुर्दा	211.00	109.17
33.	नगर पंचायत साना	मुर्दा	109.22	82.68
34.	नगर पंचायत डीडीकोरवा	मुर्दा	149.50	79.78
35.	नगर पंचायत देवका	मुर्दा	103.07	64.78
36.	नगर पंचायत बैरवा	मुर्दा	147.89	70.72
37.	नगर पंचायत मुंदा	मुर्दा	89.22	79.63
38.	नगर पंचायत पर्योडी	मुर्दा	89.22	76.78

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39.	नगर पंचायत नवापूर	दुर्ग	117.38	81.74
40.	नगर पंचायत काशी	दुर्ग	20.00	65.00
41.	नगर पंचायत अर्जुनवा	दुर्ग	50.00	45.00
42.	नगर पंचायत उरई	दुर्ग	20.00	65.00
43.	नगर पंचायत विद्यानगर	दुर्ग	20.00	45.00
44.	नगर पंचायत नगई	एकनाथवा	148.73	54.50
45.	नगर पंचायत सुंदरवन	एकनाथवा	147.92	139.71
46.	नगर पंचायत वीरगढ़ विनांक 18-08-2009 को न. पा. घोषित.	एकनाथवा	359.41	73.29
47.	नगर पंचायत अन्वामवाडी	एकनाथवा	113.50	64.32
48.	नगर पंचायत डोंगला	एकनाथवा	309.60	139.25
49.	नगर पंचायत सुंदरवा	एकनाथवा	20.00	45.00
50.	नगर पंचायत पंजीवा	कबीरवा (कवाडी)	205.29	48.50
51.	नगर पंचायत बोटवा	कबीरवा (कवाडी)	20.00	52.25
52.	नगर पंचायत अन्वामवाडी	कबीरवा (कवाडी)	20.00	51.00
53.	नगर पंचायत बरवापुर-जोडावा	कबीरवा (कवाडी)	20.00	45.00
54.	नगर पंचायत निवाडी	कबीरवा (कवाडी)	20.00	45.00
55.	नगर पंचायत केरवा	बस्तर (बनवलपुर)	92.22	64.78
56.	नगर पंचायत फरवा	बस्तर (बनवलपुर)	20.00	87.99
57.	नगर पंचायत बस्तर	बस्तर (बनवलपुर)	20.00	45.00
58.	नगर पंचायत बरवापुर	बस्तर (बनवलपुर)	177.10	117.00
59.	नगर पंचायत बरवापुर	उत्तर बस्तर (बस्तर)	140.63	44.50
60.	नगर पंचायत बरवा	उत्तर बस्तर (बस्तर)	104.94	83.32
61.	नगर पंचायत बरवा	उत्तर बस्तर (बस्तर)	20.00	45.00
62.	नगर पंचायत अंधावा	उत्तर बस्तर (बस्तर)	20.00	45.00
63.	नगर पंचायत अन्वामवाडी	दक्षिण बस्तर (बनवलपुर)	154.37	99.58
64.	नगर पंचायत सुंदरवा	दक्षिण बस्तर (बनवलपुर)	172.69	68.51
65.	नगर पंचायत नीरवा	दक्षिण बस्तर (बनवलपुर)	101.72	94.78
66.	नगर पंचायत बरवा	दक्षिण बस्तर (बनवलपुर)	20.00	45.00
67.	नगर पंचायत वीरवा	दक्षिण बस्तर (बनवलपुर)	0.00	10.00
68.	नगर पंचायत वीरवा	वीरवा	43.06	106.83
69.	नगर पंचायत कोटा	विसावा	130.25	64.78
70.	नगर पंचायत विसावा	विसावा	216.20	85.07
71.	नगर पंचायत कोटी	विसावा	209.50	72.33
72.	नगर पंचायत विसावा	विसावा	177.43	97.55
73.	नगर पंचायत विसावा	विसावा	89.23	64.78
74.	नगर पंचायत वीरवा	विसावा	122.89	191.37
75.	नगर पंचायत विसावा	विसावा	112.60	64.78
76.	नगर पंचायत कोटी	विसावा	136.09	74.91
77.	नगर पंचायत वीरवा	विसावा	20.00	45.00
78.	नगर पंचायत विसावा	विसावा	20.00	45.00
79.	नगर पंचायत विसावा	विसावा	20.00	46.00
80.	नगर पंचायत विसावा	विसावा	20.00	70.00
81.	नगर पंचायत विसावा	विसावा	20.00	45.00
82.	नगर पंचायत विसावा	विसावा	25.00	45.00
83.	नगर पंचायत विसावा	कोटा	168.93	65.07
84.	नगर पंचायत विसावा	कोटा	20.00	46.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
85.	नगर पंचायत छुरीकला	कोरवा	20.00	47.50
86.	नगर पंचायत नयाबाराद्वार	जांजगीर-चांपा	121.72	64.78
87.	नगर पंचायत बालौदा	जांजगीर-चांपा	190.80	58.50
88.	नगर पंचायत खरौद	जांजगीर-चांपा	121.72	68.78
89.	नगर पंचायत शिवरीनारायण	जांजगीर-चांपा	138.73	80.50
90.	नगर पंचायत अड़भार	जांजगीर-चांपा	151.97	89.78
91.	नगर पंचायत जैजेपुर	जांजगीर-चांपा	20.00	45.00
92.	नगर पंचायत डभरा	जांजगीर-चांपा	20.00	45.00
93.	नगर पंचायत चन्द्रपुर	जांजगीर-चांपा	20.00	48.00
94.	नगर पंचायत सारागांव	जांजगीर-चांपा	20.00	47.50
95.	नगर पंचायत नवागढ़	जांजगीर-चांपा	20.00	45.00
96.	नगर पंचायत राहौद	जांजगीर-चांपा	20.00	45.00
97.	नगर पंचायत सारंगढ़ दिनांक 22-12-2009 को न. पा. घोषित.	रायगढ़	188.93	97.07
98.	नगर पंचायत धर्मजवगढ़	रायगढ़	129.09	74.91
99.	नगर पंचायत घरघोड़ा	रायगढ़	110.67	84.43
100.	नगर पंचायत लैलुंगा	रायगढ़	20.00	45.00
101.	नगर पंचायत सरिया	रायगढ़	20.00	45.00
102.	नगर पंचायत बरमकेला	रायगढ़	20.00	45.00
103.	नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर	रायगढ़	20.00	45.00
104.	नगर पंचायत पुसौर	रायगढ़	20.00	45.00
105.	नगर पंचायत सूरजपुर दिनांक 30-07-2009 को न. पा. घोषित.	सरगुजा	178.93	93.75
106.	नगर पंचायत परथलगांव	जरापुर	129.08	77.42
107.	नगर पंचायत कोतवा	जरापुर	20.00	47.05
108.	नगर पंचायत बगीचा	जरापुर	20.00	45.00
109.	नगर पंचायत कुनकुरी	जरापुर	20.00	45.00
110.	नगर पंचायत रामानुजगंज	सरगुजा	93.22	75.78
111.	नगर पंचायत विश्रामपुर	सरगुजा	166.83	113.00
112.	नगर पंचायत सीतापुर	सरगुजा	89.71	64.78
113.	नगर पंचायत कुसमी	सरगुजा	95.40	64.78
114.	नगर पंचायत बलरामपुर	सरगुजा	133.11	64.78
115.	नगर पंचायत राजपुर	सरगुजा	89.22	64.78
116.	नगर पंचायत लखनपुर	सरगुजा	97.72	74.78
117.	नगर पंचायत प्रतापपुर	सरगुजा	101.82	93.71
118.	नगर पंचायत वाडफनगर	सरगुजा	109.50	54.50
119.	नगर पंचायत भटगांव	सरगुजा	97.99	71.18
120.	नगर पंचायत जरही	सरगुजा	20.00	45.00
121.	नगर पंचायत झगराखण्ड	कोरिया	129.08	74.92
122.	नगर पंचायत बैकुण्ठपुर दिनांक 22-12-2009 को न. पा. घोषित.	कोरिया	167.60	80.88
123.	नगर पंचायत शिवपुर-चरचा दिनांक 22-12-2009 को न. पा. घोषित.	कोरिया	94.82	87.68
124.	नगर पंचायत खोंगापानी	कोरिया	20.00	47.50
125.	नगर पंचायत नई लेदरी	कोरिया	20.00	45.00
योग			11548.73	8359.38